न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :**मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2156–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–04–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 902/अपील/2013–14

.....

गोकुलप्रसाद आ0श्री गंगाराम
निवासी संयुक्त विहार बरखेडा पठानी
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या0 भोपाल
द्वारा अध्यक्ष श्री जी0सी0शाह आ0स्व0री जी0एल0
निवासी 416, कल्पना नगर रायसेन रोड,
भोपाल

..... अनावेदक

– – –

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदक
श्री संजय अरोरा, अभिभाषक–अनावेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक संस्था द्वारा तहसीलदार राजधानी परियोजना तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बरखेडा पठानी स्थित भूमि सर्वे कमांक 407–408/2/3 कुल रकबा 6 एकड़ है, इसमें से 2000 वर्गफीट पर आवेदक चौकीदार द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–70/2011–12 दर्ज कर दिनांक 31–10–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा 7 दिवस में अनावेदक संस्था को सौंपे जाने के आदेश आवेदक को दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–6–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–4–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का मकान बना है और वह निवास कर रहा है।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है और सम्पूर्ण कार्यवाही अनावेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर की गई है। इस ओर अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) श्री जी0सी0शाह को न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि संस्था द्वारा उन्हें अधिकृत नहीं किया गया है ।

(4) अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई भी

दस्तावेज तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था ।

(5) अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित अभिवचनों को साक्ष्य से प्रमाणित किये जाने आवश्यक है, जो कि प्रमाणित नहीं किये गये हैं।

(6) किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कि विवादित है, तब उन्हें मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कराना होता है, जो कि अनावेदक द्वारा नहीं किये गये हैं ।

(7) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक संस्था को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना थे, जो कि नहीं किये गये हैं, इसलिये अनावेदक संस्था का आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था ।

(8) अधिनियम की धारा 250 के अन्तर्गत उस विशिष्ट स्थान का उल्लेख करना आवश्यक है जहॉ पर अतिक्रमण किया गया है, परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिये भी अनावेदक संस्था का आवेदन पत्र निरस्ती योग्य है ।

(9) तहसील न्यायालय द्वारा जिस जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है, वह जॉच प्रतिवेदन आवेदक की अनुपस्थिति में दर्ज किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती आदेश पारित किये गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में अनावेदक संस्था के नाम दर्ज है, इसके विपरीत आवेदक के पास न तो प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र है और न ही कोई पट्टा है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उसे अतिक्रामक मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अनावेदक संस्था द्वारा 6 एकड़ भूमि दिनांक 5–5–2004 को पंजीकृत विकय पत्र से कय की गई है और उसका नाम राजस्व अभिलखों में भी दर्ज हो गया है जिसमें से 2000 वर्गफीट पर आवेदक द्वारा अतिकमण किया गया है, अतः अतिकमण हटाने का आदेश देने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है।

(4) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । वास्तव में आवेदक न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उक्त कथन किये हैं ।

(5) आवेदक द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि वह वर्ष 1992 से प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है, परन्तु उसके द्वारा साक्ष्य में कोई वोटरकार्ड अथवा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

(6) आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा का खण्डन नहीं किया गया है । इस प्रकार आवेदक द्वारा अपरोक्ष रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर अतिकमण किया जाना स्वीकार किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये यह पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसके द्वारा अवैध अतिकमण किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई स्वत्व नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे प्रश्नाधीन भूमि पर उसके स्वत्व होना परिलक्षित होता है। अतः तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाकर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करनें में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार

की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधि सम्मत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में भी तर्क के दौरान भी यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध अतिकमण नहीं किया गया है, और प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–04–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर